रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052020-219373 CG-DL-E-14052020-219373

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222] No. 222] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2020/वैशाख 24, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2020/VAISAKHA 24, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2020

# सं. 23/2020-सीमाश्ल्क

सा.का.िन. 296(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा(1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है. यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में,-

(i) शर्त सं.10 में, शर्त (ग) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा:-

"बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा 31 मार्च, 2020 तक के लिए जारी किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य और मात्रा के आयात के मामले में 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।";

(ii) शर्त सं. 21 में, शर्त (ग) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा:-

2027 GI/2020 (1)

"बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा 31 मार्च, 2020 तक के लिए जारी किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त मदों के मूल्य और मात्रा के आयात के मामले में 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।":

(iii) शर्त सं. 28 में शर्त(ग) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा:-

"बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा 31 मार्च, 2020 तक के लिए जारी किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य और मात्रा के आयात के मामले में 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।";

(iv) शर्त सं. 32 में, शर्त(ग) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा:-

"बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा 31 मार्च, 2020 तक के लिए जारी किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य और मात्रा के आयात के मामले में 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।";

(v) शर्त सं. 33 में, शर्त(ग) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा:-

"बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा 31 मार्च, 2020 तक के लिए जारी किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य और मात्रा के आयात के मामले में 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।";

(vi) शर्त सं. 36 में, शर्त(ख) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा:-

"बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा 31 मार्च, 2020 तक के लिए जारी किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य और मात्रा के आयात के मामले में 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।":

(vii) शर्त सं. 101 में, शर्त(ग) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा:-

"बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा 31 मार्च, 2020 तक के लिए जारी किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य और मात्रा के आयात के मामले में 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।"।

[फा. सं. 605/10/2020-डीबीके]

गोपाल कृष्ण झा, निदेशक (ड्राबैक)

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 01/2020-सीमाशुल्क दिनांक 02 फरवरी, 2020, जिसे सा.का.नि.61 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में प्रकाशिक किया गया था, के द्वारा संशोधित किया गया है।

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2020

#### No. 23/2020-Customs

**G.S.R. 296 (E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the ANNEXURE, -

- (i) in Condition No. 10, in Condition (c), the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided that the validity of the said certificate, issued for the financial year 2019-20, upto the period of 31st March, 2020, shall be extended upto 30th September, 2020 for import of unutilised value and quantity of goods specified in the said certificate.":
- (ii) in Condition No. 21, in Condition (c), the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided that the validity of the said certificate, issued for the financial year 2019-20, upto the period of 31st March, 2020, shall be extended upto 30th September, 2020 for import of unutilised value and quantity of item(s) specified in the said certificate.";
- (iii) in Condition No. 28, in Condition (c), the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided that the validity of the said certificate, issued for the financial year 2019-20, upto the period of 31st March, 2020, shall be extended upto 30th September, 2020 for import of unutilised value and quantity of goods specified in the said certificate.";
- (iv) in Condition No. 32, in Condition (c), the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided that the validity of the said certificate, issued for the financial year 2019-20, upto the period of 31st March, 2020, shall be extended upto 30th September, 2020 for import of unutilised value and quantity of goods specified in the said certificate.";
- (v) in Condition No. 33, in Condition (c), the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided that the validity of the said certificate, issued for the financial year 2019-20, upto the period of 31st March, 2020, shall be extended upto 30th September, 2020 for import of unutilised value and quantity of goods specified in the said certificate.";
- (vi) in Condition No. 36, in Condition (b), the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided that the validity of the said certificate, issued for the financial year 2019-20, upto the period of 31st March, 2020, shall be extended upto 30th September, 2020 for import of unutilised value and quantity of goods specified in the said certificate.";
- (vii) in Condition No. 101, in Condition (c), the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided that the validity of the said certificate, issued for the financial year 2019-20, upto the period of 31st March, 2020, shall be extended upto 30th September, 2020 for import of unutilised value and quantity of goods specified in the said certificate."

[F. No. 605/10/2020-DBK]

GOPAL KRISHNA JHA, Director (Drawback)

**Note:** The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 01/2020-Customs, dated the 2nd February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 61(E), dated the 2nd February, 2020.